भेद-भाव : यह एक बड़ा मुद्दा है और जाने–अनजाने हमेशा भेद–भाव का मुद्दा किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। महिलाओं को इस बात पर जागरूक किया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिक समान हैं और उनके साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेद–भाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है, तो इसके खिलाफ कानून भी है, लेकिन पहले हमें बात–चीत से मसले को हल करना चाहिए। लोगों को इस बात के लिए समझाना चाहिए कि भेद–भाव न करें।

जनपद संतकबीर नगर के मेंहदावल विकास खण्ड में स्थित भरपुरवा गाँव का प्रधान मनरेगा के अन्तर्गत महिला व पुरूष को काम देने में विभेद करता था। जब भी काम निकलता वह सिर्फ पुरुषों को ही काम देता। यदि महिला काम करने जाती तो उसे भगा देता। जानकारी पाने के उपरान्त ही वहाँ की महिलाएं श्रीमती कमरूनिशा, श्रीमती शान्ति, श्रीमती अमलावती आदि ने मनरेगा के अन्तर्गत जबरदस्ती जाकर काम किया और प्रधान को उनकी मजदूरी देनी पड़ी।

सरकारी योजनाओं/विभागों की जानकारी

महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी दी गयी –

- कृषि विभाग से चलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी महिलाओं को दी गयी। उन्हें बताया गया कि खरीफ व रबी में सरकारी योजना के तहत् विभिन्न फसलों के प्रदर्शन पर अनुदान मिलता है। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि इन योजनाओं का लाभ वे कैसे ले सकें। इसी के परिणाम स्वरूप इन महिलाओं ने कृषि विभाग से ढैंचा, धान के बीज, जिंक का लाभ लिया और अब गेंहू व सरसों का प्रदर्शन लेने की तैयारी में हैं।
- औद्यानिक योजनाओं के बारे में बताया गया कि उद्यान विभाग की तरफ से विभिन्न फलदार वृक्षों जैसे अमरूद, केला आदि का प्रदर्शन मिलता है, जो समूह में भी मिल सकता है।
- स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं पर भी महिलाओं को जागरूक किया गया। उन्हें जननी सुरक्षा योजना, आंगनबाड़ी से मिलने वाली सुविधाओं, आशा व ए0एन0एम0 आदि से मिलने वाली सुविधाओं आदि के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य बीमा एवं स्मार्ट कार्ड के बारे में भी उनको जागरूक किया गया।
- अन्य मुद्दों जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि के विशय में उनको सविस्तार बताया गया कि इसकी पात्रता क्या है, और कहां से व किस प्रकार इसको प्राप्त किया जा सकता है।

सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में हमेशा जागरूक करने का परिणाम ही था कि सितम्बर 2013 में जोरवा गाँव में एक बाहरी द्वारा सभी जाब कार्ड धारियों से श्रम कार्ड बनवाने के नाम पर 500 रू० व उनके दस्तावेज की मांग की गई। प्रलोभन यह था कि आपको 4000 रुपये व एक साइकिल दी जायेगी। परन्तु जागरूक महिलाओं ने श्रम विभाग से फोन के माध्यम से इस बात की जानकारी ली व बात झूठी निकलने पर उन सभी को महिलाओं ने मिल कर गाँव से भगा दिया।

सामाजिक मुद्दों पर पहल

सामाजिक मुद्दों पर पहल करने हेतु जागरूक करना एक सशक्त पहलू रहा। इसके अन्तर्गत उन्हें यह बताया गया कि गांव में होने वाला कोई भी अविकासकारी कार्य या फिर घटनाएं उनके जीवन व परिवार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अतः ऐसे मुद्दों को सोचना, उन पर अपने संगठन में बात करना व उसके समाधान हेतु रणनीति बनाना अति आवश्यक है। इसके अन्तर्गत कोई भी मुद्दा हो सकता है, चाहे वह गांव में शराब बनने–बनाने का हो या फिर खराब सड़क टूटी व जाम पड़ी नालियों का। इन सभी समस्याओं को दूर करने में महिलाएं अहम् भूमिका निभा सकती हैं।

शराबबन्दी के लिए दो गाँवों के मोर्चा सदस्य हुए एक जुट

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड जंगल कौड़िया व सन्त कबीर नगर के विकास खण्ड के बीच मेहदावल की सीमा पर अवस्थित ग्राम घूरापाली व चिकनिया डीह को दो जनपदों की सीमा पर बसे होने का दंश हमेशा ही झेलना पड़ता है। अगल–बगल बसे इन दोनों ग्राम सभाओं के बीच की दूरी मेहदावल विकास खण्ड से लगभग 25 किमी0 की है। जनपदों की सीमा पर होने से यहां पर विकास के कार्यों को बहुत गति नहीं मिल पाती है। गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती सम्पर्क मार्ग बहुत बदहाल है, तो सरकारी योजनाओं की पहुंच भी इन गांवों में नहीं ही है। दोनों ही ग्राम सभाओं में लगभग 8–9 घर हैं, ऐसे जो शराब बना कर गांव में ही बेचने का काम करते हैं। पूरे गांव में शराब एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही थी। इससे परेशान तो सभी लोग थे, इसके समाधान में कोई कदम उठाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। शराब का दुष्प्रभाव सभी परिवारों पर पड़ रहा था।

जून, 2013 का किसान विद्यालय ग्राम सभा चिकनिया डीह में चलाया गया, जिसमें प्रशिक्षक श्रीमती सरस्वती देवी– लघु सीमान्त किसान मोर्चा ब्लाक अध्यक्ष, कैम्पियरगंज थी। इसके साथ ही सरस्वती देवी अनुभवी किसान एवं मास्टर ट्रेनर के रूप में भी अनेक स्थानों पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में किसान विद्यालय पर माहवार चर्चा के बाद चिकनिया डीह व घूरापाली के मोर्चा सदस्यों ने एक रैली निकाली व शराबबन्दी हेतु व्यापक समर्थन देने हेतु लोगों से अपील की।

रैली निकलने से लोगों के अन्दर संस्था एवं परियोजना के प्रति एक उत्साह व विश्वास कायम हुआ और पुनः महिला किसान समूह की नियमित बैठक में महिलाओं के साथ ही पुरुष भी उपस्थित हुए और उन्होंने इस विषय को चर्चा के मुख्य बिन्दु के तौर पर उठाया। पुनः इसके समाधान के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। रणनीति के तहत् माह जून, 2013 के अन्तिम सप्ताह में शराब बनाने के काम में लगे सभी परिवारों (7 परिवार केवट व 1 परिवार हरिजन) के साथ दोनों गांवों के लघु सीमान्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बैठक कर इस मुद्दे पर बात की। प्रारम्भ में तो सभी परिवारों ने इस धन्धे को बन्द करने से मना कर दिया, परन्तु कई बार बात–चीत करने तथा मोर्चा द्वारा व्यापक घेराबन्दी करने के बाद इन लोगों ने एक हफ्ते का समय मांगा। इस बारे में इनका कहना था कि हमने कुछ कच्चा माल तैयार कर लिया है, उसे तैयार कर बेच लेने दीजिए। हम फिर से शराब नहीं बनायेंगें। इसी बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा।

शराबबन्दी के कार्य को रोकने के लिए एक निगरानी कमेटी का गठन किया गया, जिसमें दोनों गांव से कुल 6 सदस्य हैं। निगरानी कमेटी के एक सदस्य ने 11 अगस्त को मोर्चा पदाधिकारियों को इस बात की सूचना दी कि कपिल हरिजन फिर से शराब बना रहा है, जब मोर्चा के लोग वहां गये तो बात सही थी। कारण पूछने पर उसने कहा कि हम यह अपने पीने के लिए बना रहे हैं। इसे कहीं बेचेगें नहीं। फिर भी शर्त उल्लंघन के एवज में उसने रू0 2000.00 का जुर्माना भरा और उसकी भट्टी व बर्तन सभी तोड़ दिया गया। आज गांव में शराब नहीं बनने से पीने वालों की संख्या में काफी कमी आयी है।

■

क्रियात्मक साक्षरता : महिलाओं की सशक्तता में एक नया आयाम

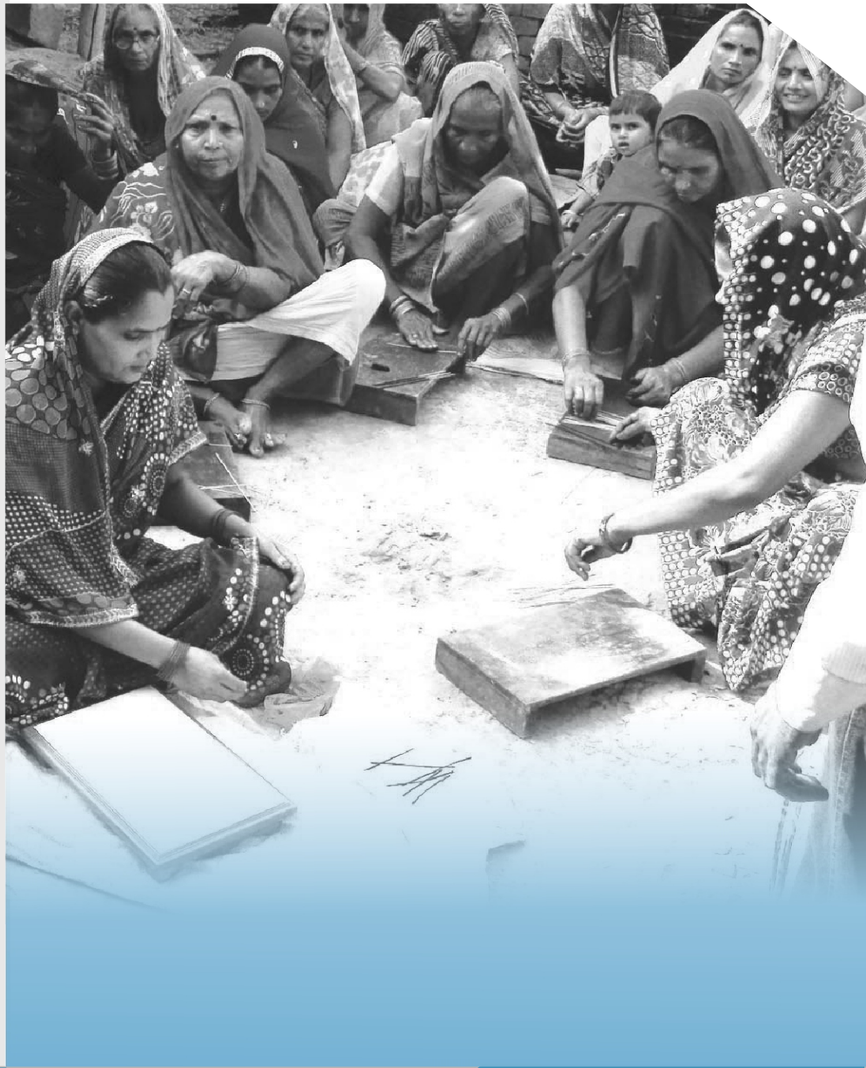

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर– 273001
वेबसाइट : www.geagindia.org

पैक्स
नई दिल्ली

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वंचित, दलित समुदाय विशेषकर महिला किसानों के समक्ष एक बड़ी चुनौती आजीविका को सुरक्षित रखने उसे स्थाईत्व प्रदान करने की है। यह चुनौती तब और भी बढ़ जाती है, जब इन महिला किसानों के पास जानकारियों का अभाव होता है, कृषि व इससे सम्बन्धित गतिविधियों पर इनकी दक्षता बहुत कम होती है। अनेक गतिविधियों एवं उनसे मिले अनुभवों के आधार पर गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप का यह मानना है कि हर क्षेत्र में महिलाओं का साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता के बहुत से माध्यम हैं मसलन, जागरूकता, जानकारी, सूचना, बैठक, भ्रमण आदि सभी माध्यम महिलाओं को विभिन्न विषयों में साक्षर बनाते हैं। इस दृष्टिकोण से पैक्स ने निम्न विषयों पर उपरोक्त माध्यमों से परियोजना के चयनित क्षेत्र की महिलाओं को साक्षर बनाने हेतु एक नव पहल की–

मनरेगा पर जागरूकता

इस योजना के तहत् गांवों में रहने वाले लोगों को गांव में ही 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किया गया ताकि गांवों का विकास हो और कम लोगों को गांवों से पलायन हो। सरकार की तरफ से इस योजना का प्रचार–प्रसार भी खूब हुआ और लोगों को इसकी जानकारी भी हुई। लेकिन अभी भी बहुसंख्य गांव ऐसे हैं, जहां पर लोगों को ''मनरेगा'' की जानकारी तो है, परन्तु उससे सम्बन्धित विषयों पर समझ विकसित नहीं हो सकी है।

उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए पैक्स परियोजना के अन्तर्गत चयनित गांवों की महिला एवं पुरुष किसानों के बीच मनरेगा एवं उससे सम्बन्धित विषयों पर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों के बीच बैठक करके, सम्बन्धित फोल्डर, पोस्टर आदि का प्रदर्शन एवं कार्यशाला आदि में सम्बन्धित सन्दर्भ व्यक्तियों को बुलाकर मनरेगा से सम्बन्धित निम्न विषयों पर जानकारी दी गयी –

- **जॉब कार्ड :** लोगों को यह बताया गया कि जॉब कार्ड बनाने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति एक आवेदन पत्र के साथ दो फोटो अपने गांव के सम्बन्धित रोजगार सेवक को सौंपे और रोजगार सेवक विकास खण्ड से उसका जाब कार्ड बनाकर प्रधान से सत्यापित कराकर आवेदक को सौंप देगा। यदि एक बार में 10 से अधिक लोग जॉब कार्ड की मांग लिखित तौर पर करते हैं, तो विकास खण्ड से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एक फोटोग्राफर को साथ लाकर लोगों का फोटो खिंचवा कर, तुरन्त वहीं पर जॉब कार्ड बनाकर दे देते हैं।
- **काम की माँग :** जाब कार्ड बन जाने के पश्चात् जाबकार्ड धारी काम की मांग अपने प्रधान से करेगा। उसके लिए भी उसे लिखित आवेदन देने की आवश्यकता है।
- **बेरोजगारी भत्ता :** यदि लिखित आवेदन करने के बाद भी प्रधान द्वारा काम नहीं दिया जा रहा है, तो बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- **मनरेगा में प्रदत्त सुविधाएं :** मनरेगा में काम करने वालों के लिए कार्यस्थल पर क्या–क्या सुविधाएं हैं, इस विषय पर भी उनकी जागरूकता की गयी। उन्हें बताया गया कि कार्यस्थल पर शुद्ध पेयजल, मजदूरों को दोपहर में आराम करने के लिए छायादार स्थल, किसी चोट, दुर्घटना आदि की स्थिति में प्रारम्भिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बाक्स उपलब्ध होती है। यदि 5किमी0 से अधिक दूरी पर काम दिया जाता है, तो मजदूरी का 10 प्रतिशत किराये के रूप में दिया जायेगा।
- **महिलाओं के लिए अलग से सुविधाएं :** मनरेगा में महिला के पक्ष को व्यापक रूप से ध्यान में रखा गया है और उनके लिए अलग से सुविधाएं भी बनाई गयी हैं। जैसे महिला को अधिक दूरी वाला काम नहीं दिया जायेगा, छोटे बच्चों वाली माताएं अपने साथ अपने बच्चों को कार्यस्थल पर ले जा सकती हैं। यदि 5–6 बच्चे या उससे अधिक होगें तो उनकी देखभाल करने के लिए एक महिला मजदूर की नियुक्ति की जायेगी, जिसे अन्य मजदूरों के बराबर ही मजदूरी देय होगी। महिला चाहे तो अलग से अपना जॉब कार्ड बनवा सकती है अथवा फिर अपने पति के साथ संयुक्त रूप से भी जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकती है।

विश्लेषण : उपरोक्त बिन्दुओं पर जागरूकता कार्यक्रम एवं जानकारी उपलब्ध कराने का काम लगभग 2000 महिलाओं के साथ किया गया, जिसमें से लगभग सभी महिलाएं मनरेगा सम्बन्धित अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी हैं। इसका उदाहरण हमें लगभग सभी गांवों में जॉब कार्ड बनवाने हेतु आवेदन पत्र देने, काम की लिखित मांग करने आदि के रूप में मिल रहा है। एक बड़ी बात तो यह है कि प्रत्येक गांव में अभी तक लोगों के जॉब कार्ड प्रधान या उसके दलाल के पास रहते थे, परन्तु अब जोरवा, पटवरिया, नौगो, साड़े कलां और अन्य बहुत से गांव के लोग खास कर महिलाएं अपना जॉब कार्ड वापस मांग रही हैं। समूह चर्चा एवं अन्य माध्यमों से उपरोक्त विषयों पर महिलाओं की जानकारी को निम्न तरीके से देख सकते हैं।

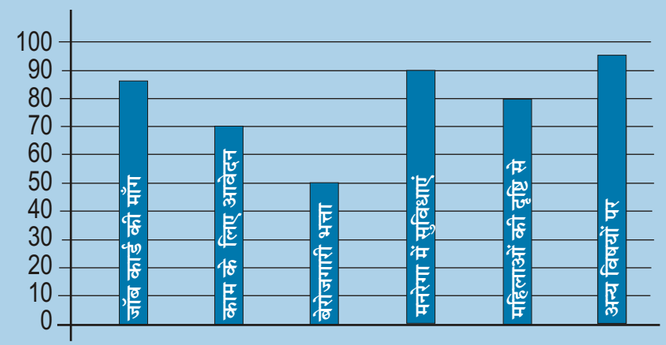

उपरोक्त आंकड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराने के बाद लोगों द्वारा अपनायी जा रही रणनीति के आधार पर सहभागी तरीके से निकाले गये हैं।

भूमि अधिकार पर जागरूकता

भूमि अधिकार एक महत्वपूर्ण विषय है। भूमि पर अधिकार की जद्दो–जहद महिलाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। इनका मानना है कि यदि भूमि पर अधिकार है व खेती की जमीन मेरे नाम है तो महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के बीच भूमि सम्बन्धी विभिन्न विषयों जैसे भूमि पर पट्टा कैसे व कहां से प्राप्त करें, यदि पट्टा मिल गया है, तो उस पर कब्जा कैसे करें, पट्टा निरस्त कैसे होता है, कृषिगत भूमि पर महिलाओं का संयुक्त स्वामित्व से क्या – क्या फायदे हैं आदि पर गहन जागरूकता की गयी।

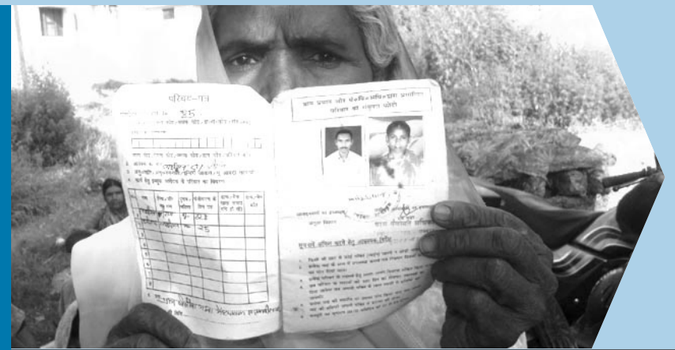

कृषि में स्थाईत्व हेतु जागरूकता

नाडेप खाद बनाने की विधि व उपयोग

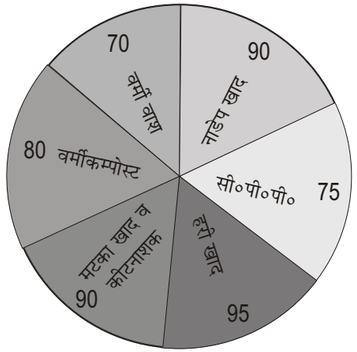

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। गांव में निवास करने वाली लगभग 80–90 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का मुख्य आधार खेती ही है। ऐसे में यदि छोटे, मझोले किसानों का खेती से मोह भंग होने लगे तो निश्चित तौर पर यह चिन्ता का विषय है, परन्तु खेती की बढ़ती लागत व दिनों दिन बाहरी निवेश की अनुपलब्धता खेती को अस्थिर बना रही है। साथ ही रसायनों का बढ़ता प्रयोग कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण व हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में वे महिला किसान, जो गहराई से खेती में लगी है उनको कृषिगत जानकारियों से समृद्ध बनाना, गांव व आस–पास ही उपलब्ध संसाधनों से कार्बनिक खाद व कीटनाशक बनाकर उसका प्रयोग खेतों में करने की तकनीक से लैश करना न केवल उनकी खेती को स्थाईत्व प्रदान करेगा, वरन् पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। इसी सोच को सामने रखते हुए उनको निम्न बिन्दुओं पर तकनीकी जानकारी प्रदान की गयी–

- नाडेप खाद बनाने की विधि व उपयोग
- सी0पी0पी0
- हरी खाद
- मटका खाद व कीटनाशक
- वर्मी कम्पोस्ट
- वर्मी वाश

महिला अधिकारों की जानकारी

महिला अधिकार कौन–कौन से है और उनसे महिलाएं किस प्रकार लाभान्वित हो सकती हैं, इस विषय पर गहन जागरूकता की गयी। इस विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर जागरूकता प्रदान की गयी–

सूचना का अधिकारी : वर्ष 2005 में अस्तित्व में आये सूचना के अधिकार के दायरे में वे सभी कार्य आते हैं, जिनका समुदाय से सम्बन्ध होता है। किसी भी सन्दर्भ में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 10 रू0 के स्टाम्प पेपर अथवा नकद के साथ आवेदन दाखिल किया जा सकता है (बी0पी0एल0 हेतु कोई शुल्क नहीं)। प्रत्येक विभाग में एक जन सम्पर्क अधिकारी/कर्मचारी होता है, जो मांगी गयी सूचनाओं को सम्बन्धित को उपलब्ध कराता है। सूचना के अधिकार के तहत् मांगी गयी सूचना की सम्बन्धित विभाग द्वारा एक माह के अन्दर देना होता है। सन्त कबीर नगर के मेहदावल विकास खण्ड के ग्राम साड सार्वजनिक करने की मांग सम्बन्धित विभाग से की है, जो प्रक्रिया में है।

घरेलू हिंसा : महिला को हमेशा दोयम दर्जे पर रखा जाता है और बात–बेबात उनके साथ मार–पीट की जाती है। इस बात पर भी उन्हें जागरूक किया गया कि कौन से ऐसे कानून हैं, जिनके माध्यम से वे अपने साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं।